

बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक-05/08/2025.

विषय :- वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में राज्य योजना (सिडबी क्लस्टर विकास निधि (SCDF) द्वारा ऋण सम्पोषित) के तहत वजीरगंज, गया में 2.00 लाख लिटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी संयंत्र की स्थापना हेतु कुल रुपये 50,27,00,000/- (पचास करोड़ सताईस लाख) (सिडबी से लोन रुपये 30,16,00,000/- (तीस करोड़ सोलह लाख) एवं कॉम्फेड के माध्यम से व्यय की जानी वाली राशि रुपये 20,11,00,000/- (बीस करोड़ ग्यारह लाख) मात्र के अनुमानित लागत व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2025-26 एवं 2026-27 में राज्य योजना (सिडबी क्लस्टर विकास निधि (SCDF) द्वारा ऋण सम्पोषित) के तहत वजीरगंज, गया में 2.00 लाख लिटर प्रतिदिन क्षमता के डेयरी संयंत्र की स्थापना हेतु कुल रुपये 50,27,00,000/- (पचास करोड़ सताईस लाख) (सिडबी से लोन रुपये 30,16,00,000/- (तीस करोड़ सोलह लाख) एवं कॉम्फेड के माध्यम से व्यय की जानी वाली राशि रुपये 20,11,00,000/- (बीस करोड़ ग्यारह लाख) मात्र के अनुमानित लागत व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी-"क" संलग्न।

2. वजीरगंज, गया में डेयरी प्लांट की स्थापना उपरांत वजीरगंज, गया एवं उसके आस-पास के जिलों में दूध की आपूर्ति ससमय एवं गुणवत्तायुक्त बिहार की आम जनता को उपलब्ध हो पायेगी।
3. इस योजना के कार्यान्वयन से निम्नांकित मूल लाभ होंगे :-
 - (i) राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होगी।
 - (ii) स्वरोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित होंगे।
4. विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-14.05.2024 को सम्पन्न Project Screening Committee (PSC) की बैठक (कार्यवाही ज्ञापांक-35/SIDBI-

09/2024, 5621, दिनांक-27.05.2024) के द्वारा सहमति एवं अनुशंसा प्राप्त है।

- 5 कॉम्फेड, पटना का पत्रांक-7592, दिनांक-07.07.2025 द्वारा इस योजना के लिए तकनीकी अनुमोदन प्राप्त है।
- 6 महाप्रबंधक, SIDBI के पत्रांक-SIDBI/PTRO/05122024/OUT/36520, दिनांक-05.12.2024 के द्वारा SCDF परियोजना के तहत विभाग की परियोजना वजीरगंज, गया जिले में 2.00 LLPD क्षमता के डेयरी संयंत्र की स्थापना (कुल लागत ₹ 5027.00 लाख) के लिए SIDBI द्वारा ₹ 3016.00 लाख की ऋण स्वीकृति दिनांक-05.12.2024 को प्रदान की गयी है। SCDF परियोजना अंतर्गत SIDBI द्वारा ऋण स्वीकृत राशि रुपये 3016.00 लाख मात्र का आवश्यक बजट उपबंध सुनिश्चित कर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से निकासी की जाएगी। निकासी राशि का हस्तांतरण प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन एजेन्सी बिहार स्टेट मिल्क को-ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (कॉम्फेड), पटना के पी०एल० संख्या-PBBPLA023 में की जाएगी। शेष राशि ₹ 2011.00 लाख का वहन कॉम्फेड/सम्बद्ध दुग्ध संघ द्वारा अपने स्रोत से किया जायेगा।
7. इस योजना के तहत होने वाले व्यय का विकलन निम्न मुख्य शीर्ष के तहत किया जायेगा :-

मुख्य शीर्ष-2404 -डेरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-102 -डेयरी विकास परियोजनाएँ, उप शीर्ष-0117 -डेयरी संयंत्रों की स्थापना एवं सुदृढीकरण (एससीडीएफ-सिडबी), माँग संख्या-02, विपत्र कोड 02-2404001020117 के तहत विषय शीर्ष-0117.31.05 -सहायक अनुदान-परिसम्पत्तियों के निर्माण मद से किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अतिरिक्त योजना उद्व्यय के तहत प्राप्त प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से बजट उपबंधित राशि अंतर्गत व्यय किया जायेगा। राशि का व्यय संदर्भित विपत्र कोड एवं विषय शीर्ष में अनुपूरक आगणन से बजट उपबंधित राशि से किया जायेगा।

8. सिडबी क्लस्टर विकास निधि (SCDF) अंतर्गत ऋण संपोषित प्रस्तावित योजना की क्रियान्वयन एजेन्सी बिहार स्टेट मिल्क कॉपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (कॉम्फेड), पटना है।
9. प्रस्तावित योजनान्तर्गत राशि के व्यय फलस्वरूप विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं संबंधित अभिलेख कॉम्फेड, पटना द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं भारतीय लघु विकास बैंक (SIDBI) को उपलब्ध कराया जायेगा साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-2026 में राशि के व्यय पश्चात कॉम्फेड, पटना द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के उपरांत ही व्यय विवरणी में इंगित अगले/निर्धारित वित्तीय वर्ष के अनुसार बजट उपबंध अन्तर्गत कॉम्फेड, पटना को राशि उपलब्ध करायी जायेगी। SCDF

अंतर्गत पूर्व में उपलब्ध करायी गयी राशि के व्यय उपरांत राशि विमुक्त करने हेतु Next Disbursement Request विहित प्रपत्र में कॉम्फेड, पटना द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

10. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत कार्यकारी दिशा-निर्देश निदेशक, गव्य द्वारा विभाग की सहमति से समय-समय पर अलग से निर्गत किया जायेगा।
11. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना एवं प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। निदेशक, गव्य, बिहार, पटना इसके सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।
12. इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए प्रस्तावित कुल राशि के अन्तर्गत SIDBI द्वारा समय-समय पर चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराये जाने वाली ऋण की राशि के परिपेक्ष्य में राशि की निकासी निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी एवं कॉम्फेड, पटना के PL खाता में अंतरित किया जायेगा।
13. इस योजना की प्रगति का नियमित रूप से पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग एवं वित्त विभाग द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा तथा कॉम्फेड, पटना का यह दायित्व होगा कि नियमित रूप से प्रगति प्रतिवेदन एवं व्यय प्रतिवेदन पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. कॉम्फेड, पटना द्वारा इस योजना के तहत प्रस्तावित कार्यों का सम्पादन निर्धारित समय सीमा के अंदर कराया जायेगा।
15. निदेशक, गव्य का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम०-04-15/2009-9736 वि०-2, दिनांक-19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।
16. दिनांक-24.07.2025 को संपन्न लोक वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम की स्वीकृति प्रदान की गयी है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6)51/2025 के पृष्ठ 07-06/प०.
17. दिनांक-29.07.2025 को मद संख्या-26 के रूप में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है। संचिका संख्या-6 एस०एस०(6)51/2025 के पृष्ठ-12/टि०.
18. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। सं०सं०-6 एस०एस०(6)51/2025 के पृष्ठ-14/टि० तथा डायरी सं०-372, दिनांक-30.07.2025.

19. वित्त विभागीय पत्र संख्या-7355 दिनांक-05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन

(गीता सिंह)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)51/2025- /पटना-15, दिनांक-05/8/2025.

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)51/2025- /पटना-15, दिनांक-05/8/2025.

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)51/2025- /पटना-15, दिनांक-05/8/2025.

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ महाप्रबंधक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, प्रथम तल, सोन भवन, आर० ब्लॉक, वीरचन्द पटेल पथ, निकट होटल चाणक्या, पटना/प्रबंध निदेशक, कॉम्पेड, पटना/ निदेशक, गव्य, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)51/2025- /पटना-15, दिनांक-05/8/2025.

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ गव्य निदेशालय के बजट शाखा/योजना शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)51/2025- /पटना-15, दिनांक-05/8/2025.

प्रतिलिपि:-अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/योजना शाखा-06 के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)51/2025- /पटना-15, दिनांक-05/8/2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/विभागीय अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव/महालेखाकार, लेखा परीक्षा, महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)51/2025-3483/पटना-15, दिनांक-05/8/2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक:-6 एस०एस०(6)51/2025-3483/पटना-15, दिनांक-05/8/2025.

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक की प्रति के साथ आई० टी० मैनेजर, विभागीय कम्प्यूटर कोषांग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

व्यय विवरणी—“क”

राज्य योजना (सिडबी क्लस्टर विकास निधि (SCDF) द्वारा ऋण सम्पोषित) के तहत वजीरगंज, गया में 2.00 LLPD क्षमता के डेयरी संयंत्र की स्थापना हेतु कुल ₹ 5027.00 लाख (रुपये पचास करोड़ सताईस लाख) मात्र के अनुमानित लागत व्यय विवरणी।

(राशि लाख में)

विपत्र कोड / विषय शीर्ष	योजना की विवरणी	योजना का कुल लागत राशि	वित्तीय वर्ष 2025-26	सिडबी द्वारा स्वीकृत ऋण	कॉम्पेड / सम्बद्ध दुग्ध संघ द्वारा आंतरिक स्रोत / अपने संसाधन से व्यय की जाने वाली राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	कोषागार
1	2	3	4	5	6	7	8
विपत्र कोड 02-2404.00.102.0117, विषय शीर्ष-0117.31.05 --सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण।	वजीरगंज, गया में 2.00 LLPD क्षमता के डेयरी संयंत्र की स्थापना	5027.00	3016.00	3016.00	2011.00	निदेशक, गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना / प्राधिकृत पदाधिकारी	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
योग :-		5027.00					

कुल राशि (रुपये पचास करोड़ सताईस लाख) मात्र।

3483
65/8/25

सरकार के अपर सचिव
11/8/25